

25/8/23

पत्राचार कर देना हट्टी करील  
 वाशीम उद्योगाला वाशीम वाशीम  
 डीए वाशीम कोरम न गवाड  
 प्र-1 सुजाय, प्र-2 सुजाय  
 को उद्योग कर कर कलमाई  
 करवाए गेले वाशीम कोरम  
 1 नोचाराप न कोरम उद्योगाला  
 दोकर वाशीम के वाश कर इकोनी  
 उद्योग देना कर वाशीम का उद्योग  
 को उद्योगाला कोरम कोरम  
 कोरम कोरम कोरम कोरम  
 लिखाया जाकर सुले नोचाराप  
 सुजाय गवा। पत्राचार नोचाराप  
 सुजाय दोकर उद्योगाला उद्योग है।

सुजाय  
 सुजाय  
 नोचाराप

सुजाय  
 नोचाराप

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), गुड़ामालानी  
पीठासीन अधिकारी-श्री रामजी भाई कलवी R.A.S.

प्रकरण संख्या :-31/2023

वादीगण

1. गणेशाराम पुत्र नाथाराम
  2. बुधाराम चौधरी पुत्र नाथाराम
  3. जोगाराम पुत्र नाथाराम
  4. सूजाराम पुत्र नाथाराम
- कौम कलवी साकिन जालीखेडा तहसील गुड़ामालानी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नाथाराम पुत्र अणदाराम
  2. मुकनाराम पुत्र अणदाराम
  3. खीन्दाराम पुत्र लुम्भाराम
  4. गेनाराम चौधरी पुत्र लुम्भाराम
  5. छोगाराम पुत्र लुम्भाराम
  6. जूझाराम पुत्र लुम्भाराम
  7. मांगीदेवी पत्नी लुम्भाराम
- कौम कलवी साकिन जालीखेडा तहसील गुड़ामालानी
8. मैनेजर एस.बी.आई शाखा गुड़ामालानी
  9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 40, 207 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम एवं धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम  
वास्ते खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश अधिवक्ता वादीगण

--: निर्णय :- २५/८/२३

निर्णय दिनांक :- 25.08.2023

वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 40, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित होते हैं। वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 के जायन्दा पुत्र हैं।

वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र खुडाला के राजस्व ग्राम जालीखेडा में खेत खसरा नम्बर 55, 115 रकबा कमशः 15.2728, 11.1855 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त विवादित आराजी वक्त सेटलमेन्ट वादीगण के दादा, अणदाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई, तत्पश्चात् अणदाराम के फौत होने से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 नाथाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। इस आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से काश्त करते हैं, वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र हैं,

इसलिये वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर हिस्से का अधिकार पैदा हो चुका है तथा धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इस आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 सहदायिकी है तथा समस्त सहदायिकों का बराबर हिस्सा है जिससे वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी हैं। उक्त वादग्रस्त खेतों में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्सानुसार कब्जे काशत में है फिर भी प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को काशत करते समय रोकटोक करता है, तथा वादीगण के हिस्से की भूमि को बेचान कर वादीगण को उनके पैतृक हकों से बेदखल करने पर आमदा है, जिससे वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि की हिस्सेदारी घोषित करवाने हेतु वादपत्र पेश किया गया।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही गई।

हमने वादीगण के विद्वान अभिभाषक श्री ओमप्रकाश की बहस सुनी तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। चूंकि उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में प्रथम श्रेणी के वारिसान को अपने हिस्से की कृषि भूमि के अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित अधिनिर्णयों में यही मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक दिनांक 08.01.2007 द्वारा यह निर्देशित किया गया है "कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनों को जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते हैं। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ साथ पुत्र/पुत्री सहकृषक होते हैं चाहे राजस्व रेकॉर्ड में इसका अंकन नहीं भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री दोनों अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते हैं। यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नहीं हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम

न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोतों का विभाजन कराया जा सकता है।" प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद पत्र का बावजूद नोटिस तामील किसी प्रकार से कोई उजर एतराज नहीं किया है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वादपत्र का इकबाली जवाब पेश कर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने की सहमति दी है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र खुडाला के राजस्व ग्राम जालीखेडा में खेत खसरा नम्बर 55, 115 रकबा कमशः 15.2728, 11.1855 हैक्टेयर की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आने वाली भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद कर राजस्व रेकॉर्ड में सुधार की पृविष्टि की जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक...१५/११/२३...को खुले न्यायालय मजमेआम सुनाया गया।

( रामजी भाई कलबी )  
सहायक कलेक्टर, (S.D.O.) गुड़ामालानी

(ओ. 20 रू. 6-7 जाबा दीवानी)  
( Civil Procedure Code Appendix 'D'-1 )  
अज अदालत सहायक कलक्टर ( S.D.O. ) गुडामालानी  
व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

वादीगण

1. गणेशाराम पुत्र नाथाराम
2. बुधाराम चौधरी पुत्र नाथाराम
3. जोगाराम पुत्र नाथाराम
4. सूजाराम पुत्र नाथाराम  
कौम कलबी साकिन जालीखेडा तहसील गुडामालानी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नाथाराम पुत्र अणदाराम
2. मुकनाराम पुत्र अणदाराम
3. खीन्दाराम पुत्र लुम्भाराम
4. गेनाराम चौधरी पुत्र लुम्भाराम
5. छोगाराम पुत्र लुम्भाराम
6. जूझाराम पुत्र लुम्भाराम
7. मांगीदेवी पत्नी लुम्भाराम  
कौम कलबी साकिन जालीखेडा तहसील गुडामालानी
8. मैनेजर एस.बी.आई शाखा गुडामालानी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 40, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 व 8  
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 31/2023

निर्णय दिनांक :- 25.08.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री ओमप्रकाश अधिवक्ता मिनजानिव मुदई व ... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसील गुडामालानी पटवार क्षेत्र खुडाला के राजस्व ग्राम जालीखेडा में खेत खसरा नम्बर 55, 115 रकबा कमशः 15.2728, 11.1855 हैक्टेयर की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आने वाली भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर राजस्व रेकर्ड में सुधार की पृविष्टि की जावें।। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25/8/23 को जारी की गई।



कर्मांक: वाद/2023/

प्रतिलिपि : 1027

1. तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ।

( रामजी भाई कलबी )  
सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी  
दिनांक : 25/8/23

( रामजी भाई कलबी )  
सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी